



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238303
CG-DL-E-23082022-238303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3773]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944

No. 3773]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

का.आ. 3947(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2934(अ) तारीख 27.06.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 29.06.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में नार्थ-इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के GNPL खंड के मधायम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

ज़िला : मजुली			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	सर्वे नं / ब्लॉक नं	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
मजुली कमलाबारी	कमलाबारी	नामनि जकाइ बोवा	107	00	17	27
			115	00	16	90
			117	00	17	85
			161	01	46	49
मजुली कमलाबारी	कमलाबारी	बेंगेना कलिया मिरि गाँव	1	00	52	00
			2	00	54	11
मजुली कमलाबारी	कमलाबारी	पकाजरा मिरि पथार	214	00	08	80
			86	00	01	41
			41	00	01	60
			215	00	01	83
			2	00	07	19
			150	02	31	04
			131	00	17	79
			145	00	19	98
			203	00	41	24
मजुली कमलाबारी	कमलाबारी	पकाजरा	352	00	37	50
			101	00	02	15
			334	00	51	30
मजुली कमलाबारी	कमलाबारी	2 नं गुवालबारि	24	01	56	90
मजुली कमलाबारी	कमलाबारी	3 नं भुवामरा	703	00	05	06
			705	00	29	41
			706	00	71	94
मजुली कमलाबारी	कमलाबारी	1 नं भुवामरा	103	00	85	07
			1	00	97	81
			184	00	13	01
			186	00	00	67
			175	00	65	97
मजुली कमलाबारी	कमलाबारी	2 नं. भूवामरा	88	00	11	23
			87	00	20	74
			89	00	72	04

मजुली कमलावारी	कमलावारी	पोहुमरा ताति गाँव	119	00	48	73
			692	00	00	77
			689	00	03	86
			144	00	01	27
			172	00	69	68
			163	00	28	11
			455	00	01	68
			451	00	00	20
मजुली कमलावारी	कमलावारी	सुकान सुती मिरि	133	00	02	37
मजुली कमलावारी	कमलावारी	धोवाचला	694	00	01	37
मजुली कमलावारी	कमलावारी	बनखोवाचूक	546	00	03	64
			535	00	08	55
			709	00	01	95
			769	00	01	09
			837	00	02	91
मजुली कमलावारी	कमलावारी	मेखेलि गाँव	502	00	06	26
			554	00	02	99
			1035	00	01	61
			695	00	01	57
			690	00	08	17
			991	00	02	40
			1005	00	11	16
			1014	00	01	06
मजुली कमलावारी	कमलावारी	ताताया गाँव	1062	00	01	38
			1111	00	04	08
			1229	00	02	32
उजानी मजुली	शालमारा	चामगुरि सत्र	315	00	02	89
			316	00	05	51
			317	00	10	55
			436	00	01	56
उजानी मजुली	शालमारा	करहाल गाँव	281	00	38	02
			278	00	09	24
			547	00	04	39
			277	00	04	33
			538	00	01	02
उजानी मजुली	शालमारा	गरोईमारि दलनि	627	00	01	91
			75	00	00	20
			104	00	01	67
			152	00	02	35
			303	00	03	30
			633	00	02	50
			299	00	17	37

उजानी मजुली	शालमारा	दक्खिनपात सत्र	939	00	38	13
			948	00	04	56
			953	00	23	21
			943	00	05	39
			944	00	14	69
			945	00	07	03
			946	00	02	35
			968	00	03	25
			978	00	00	55
			976	00	15	94
			977	00	20	86
			1003	00	04	80
			1004	00	02	49
			933	00	01	17
			1009	00	03	01
			935	00	19	14
			नदी	04	04	70

[फा. सं.एल-14014/138/2022-जीपी-II(ई-43394)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th August, 2022

S.O. 3947(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 2934 (E) dated the 27.06.2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 29.06.2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through GNPL section of North – East Natural Gas Pipeline Grid Project in the state of Assam, by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: Majuli			State: Assam			
Circle	Mauza	Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Sq. meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Namoni Jokaibowa	107	00	17	27
			115	00	16	90
			117	00	17	85
			161	01	46	49
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Bengena Kalia Miri	1	00	52	00
			2	00	54	11
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Pakajara Miri Pathar	214	00	08	80
			86	00	01	41
			41	00	01	60
			215	00	01	83
			2	00	07	19
			150	02	31	04
			131	00	17	79
			145	00	19	98
			203	00	41	24
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Pakajara	352	00	37	50
			101	00	02	15
			334	00	51	30
Majuli Kamlabari	Kamlabari	2 No Guwalabari	24	01	56	90
Majuli Kamlabari	Kamlabari	3 No Bhuramora	703	00	05	06
			705	00	29	41
			706	00	71	94
Majuli Kamlabari	Kamlabari	1 No Bhuramora	103	00	85	07
			1	00	97	81
			184	00	13	01
			186	00	00	67
			175	00	65	97
Majuli Kamlabari	Kamlabari	2 No Bhuramora	88	00	11	23
			87	00	20	74
			89	00	72	04
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Pohumara Tati Gaon	119	00	48	73
			692	00	00	77
			689	00	03	86
			144	00	01	27
			172	00	69	68
			163	00	28	11
			455	00	01	68
			451	00	00	20
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Sukan Suti Miri	133	00	02	37
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Dhowachala	694	00	01	37
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Bankhowa Chuk	546	00	03	64
			535	00	08	55
			709	00	01	95
			769	00	01	09
			837	00	02	91

Majuli Kamlabari	Kamlabari	Mekheli Gaon	502	00	06	26
			554	00	02	99
			1035	00	01	61
			695	00	01	57
			690	00	08	17
			991	00	02	40
			1005	00	11	16
			1014	00	01	06
Majuli Kamlabari	Kamlabari	Tataya Gaon	1062	00	01	38
			1111	00	04	08
			1229	00	02	32
Ujani Majuli	Salmara	Chamguri	315	00	02	89
			316	00	05	51
			317	00	10	55
			436	00	01	56
Ujani majuli	Salmara	Karhal Gaon	281	00	38	02
			278	00	09	24
			547	00	04	39
			277	00	04	33
			538	00	01	02
Ujani Majuli	Salmara	Garoimari Dalani	627	00	01	91
			75	00	00	20
			104	00	01	67
			152	00	02	35
			303	00	03	30
			633	00	02	50
			299	00	17	37
Ujani Majuli	Salmara	Dakshinpat Satra	939	00	38	13
			948	00	04	56
			953	00	23	21
			943	00	05	39
			944	00	14	69
			945	00	07	03
			946	00	02	35
			968	00	03	25
			978	00	00	55
			976	00	15	94
			977	00	20	86
			1003	00	04	80
			1004	00	02	49
			933	00	01	17
			1009	00	03	01
			935	00	19	14
			River	04	04	70

[F. No. L-14014/138/2022-GP-II (E-43394)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.